नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 19 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 34(अ) - जबकि दिनांक 25 मार्च, 2011 को भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार की दिनांक 25 मार्च, 2011 की अधिसूचना, नागर विमानन मंत्रालय, सा.का.नि. 109 के द्वारा वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित वायुयान (सुरक्षा) नियम, 2011 का कतिपय प्रारूप प्रकाशित किया गया था जिसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पहले इस प्रारूप से प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, उक्त नियमों के प्रारूप पर जनता की ओर से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतएव, अब वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 5 के साथ पठनीय धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. लघु शीर्ष, विस्तार और आरंभ - (1) इन नियमों को वायुयान (सुरक्षा) नियमावली 2011 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों का विस्तार समस्त भारत पर होगा और ये निम्न पर भी लागू होंगे:-

(क) भारत में पंजीकृत किसी विमान, और किसी ऐसे प्रचालक - जिसका प्रधान व्यवसाय स्थल या स्थायी निवास स्थान भारत में हो - द्वारा प्रचालित किसी वायुयान पर सवार व्यक्तियों पर, चाहे वे कही भी हों,

(ख) भारत में सभी विमान।

(3) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अतिम प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाए - (1) इन नियमों में, जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कोई भी बात प्रतिकूल न हो -

(क) "अधिनियम" का अर्थ है वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22);

(ख) "एयरोड्रोम प्रचालक" का अर्थ है किसी एयरोड्रोम के प्रचालन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संगठन या उद्यम;

(ग) एयरोड्रोम प्रवेश परमिट" का अर्थ है सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा एयरोड्रोम या किसी एयरोड्रोम के भाग में प्रवेश हेतु जारी फोटो पहचान-पत्र, स्मार्ट कार्ड या अस्थायी परमिट;

(घ) "हवाई अड्डा प्रचालक" का अर्थ है हवाई अड्डी प्रचालन में संलिप्त या संलिप्त होने के लिए ऑफर करने वाला कोई कथित, संगठन या उद्यम;

(ड.) "गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्य" का अर्थ है नागर विमानन और हवाई परिवहन की संरक्षा को ध्वस्त करने वाले हृदय या प्रयास, जिनमें शामिल हैं:-

(i) उड़ान में वायुयान का गैर-कानूनी कब्जा,

(ii) भूमि पर वायुयान का गैर-कानूनी कब्जा,

(iii) वायुयान में उड़ान के दौरान या एयरोड्रोमों पर बंधक बनाया जाना,

(iv) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान या किसी एयरोड्रोम पर या किसी वैमानिकी सुविधा परिसर में बलपूर्वक घुसपैठ,

(v) किसी वायुयान में उड़ान के दौरान या किसी एयरोड्रोम पर कोई हथियार या खतरनाक यंत्र या आपराधिक प्रयोजनार्थ अभिप्रेत सामग्री ले जाना,

(vi) उड़ान के दौरान भूमि पर किसी वायुयान की, किसी एयरोड्रोम पर या किसी नागर विमानन सुविधा परिसर पर यात्रियों, कर्मीदल, भू-वार्तिक या आम जनता की संरक्षा को ध्वस्त करने के उद्देश्य से झूठी सूचना का संप्रेषण,

(च) "एयर साइड" का अर्थ है किसी एयरोड्रोम का आवागमन क्षेत्र, सटा हुआ भू-भाग और भवन या उसका कोई भाग जिस पर नियंत्रण किया गया हो;

(छ) "आयुक्त" का अर्थ सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रलाय, जो अनुबंध-17 की अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होगा;

(ज) "विमानन सुरक्षा समूह" का अर्थ है किसी विशेषज्ञता प्राप्त सरकार एजेंसी की एक इकाई जिसे आयुक्त द्वारा गैर-कानूनी हस्तक्षेप के कृत्यों के विरुद्ध नागर विमानन की सुरक्षा तथा नागर विमानन को संभालने वाले एयरोड्रोम पर सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(झ) "केबिन बैगेज" का अर्थ है किसी वायुयान के केबिन में वहन के लिए अभिप्रेत कोई बैगेज;

(ञ) "अभिसमय" का अर्थ है 7 दिसम्बर, 1944 को शिकागो में हस्ताक्षरित, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन से संबंधित अभिसमय;

(ट) "एक्सप्रेस कार्गो" का अर्थ डाक से इतर तथा यात्रियों या कर्मीदल से स्वैच्छिक रूप से या अनजाने में अलग हो गई या साथ की वस्तुएं - जिन्हें किसी वायुयान प्रचालक द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लाया-ले जाया जाना अपेक्षित होता है;

(ठ) "उड़ान में सुरक्षा अधिकारी" से किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाई के विरुद्ध वायुयान में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा वायुयान में तैनात सुरक्षा कार्मिक अभिप्रेत हैं;

(ड) "डाक" से डाक प्रशासन द्वारा और उनके वितरण के लिए आशयित पत्रकार का संवाद और अन्य वस्तुएं अभिप्रेत हैं;

(ढ़) "आवागमन क्षेत्र" से किसी विमान क्षेत्र का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान के भूतल आवागमन के लिए आशयित है और जिसके अंतर्गत मैन्यूवरिंग एरिया तथा एप्रन भी है;

(ण) "राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम" से केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अभिसमय के किसी भी उपाबंध को प्रभावी बनाने के निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(त) "अधिकारी" से भारत सरकार द्वारा किसी भी कार्यालय में नियुक्त या नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) "प्रतिषेध वस्तु" से कोई वस्तु जिसे गैर कानूनी हस्तक्षेप का कोई कृत्य करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता हो और जिसे उपयुक्त तरीके से घोषित न किया गया हो;

(द) "सार्वजनिक विमान क्षेत्र" से ऐसा विमान क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे व्यापक रूप से जनता द्वारा उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति दी गई हो;

(ध) "विनियमित अभिकर्ता" से कोई अभिकर्ता, माल अग्रेषक या कोई अन्य अभिप्रेत है जो किसी प्रचालक के साथ कारबार करता है और सुरक्षा नियंत्रण उपलब्ध कराता है, जो वायु द्वारा परिवहन के संबंध में कार्गो, कूरियर तथा एक्सप्रेस पार्सल या डाक के संबंध में आयुक्त द्वारा स्वीकृति या अपेक्षित हो;

(न) "स्क्रीनिंग से तकनीकी या अन्य माध्यम का अनुप्रयोग अभिप्रेत है जो शस्त्रों, विस्फोटकों या अन्य खतरनाक युक्तियों की पहचान करने या पता लगाने के लिए अभिप्रेत हो जिनका प्रयोग नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता हो;

(प) "सुरक्षा" से विधिविरूद्ध हस्तक्षेप की कार्रवाइयों के विरुद्ध नागर विमानन रक्षोपाय के आशय से उपायों, मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का संयोजन अभिप्रेत है;

(फ) "सुरक्षा दुर्घटना" से कोई ऐसी घटना जिसका परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर उपहति या सम्पत्ति की प्रमुख क्षति अभिप्रेत है;

(ब) सुरक्षा क्लीयरेंस" किसी वायुयान, व्यक्ति या वस्तु के संबंध में राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में विनिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों का अनुपालन अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए गंभीर उपहति का आशय वही होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में है;

(भ) "सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र" से किसी हवाई अड्डे के एयर साइड के क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिनमें नागर विमानन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रवेश नियंत्रित किया जाता है, इन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग चेक प्वाइंट और विमान के बीच यात्री क्षेत्र, रैम्प, बैगेज मार्ग अप एरिया, कार्गो शैड, डाक केन्द्र, एयर साइड केटरिंग और विमान सफाई परिसर शामिल है;

(म) "सुरक्षा घटना" से नागर विमानन सुरक्षा के संबंध में कोई घटना अभिप्रेत है जो भूमि या उड़ान के दौरान हुई जिसके परिणामस्वरूप -

(i) किसी व्यक्ति को चोट लगे, सम्पत्ति को क्षति हो, आगे से या किसी प्रकार की क्षति हो;

(ii) सुरक्षा नियमों, विनियमों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम और अधिनियम के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के उल्लंघन तथा भंग हुई हो;

(य) "सुरक्षा नियंत्रण" से वह पद्धति अभिप्रेत है जिसके द्वारा, आयुध, विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक युक्तियां, वस्तु या पदार्थों, जिन्हें किसी विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है, को रोका जा सके;

(यक) "सुरक्षा कार्यक्रम" से आयुक्त द्वारा लिखित विशिष्ट उपाय अभिप्रेत है जिन्हें विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कृत्य के विरुद्ध नागर विमानन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी अस्तित्व द्वारा अंगीकृत किया जाना है।

(यख) "टर्मिनल" से वह भवन या भवनों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जहां यात्रियों, सामान, कार्गो, कूरियर बैगों आदि की स्क्रीनिंग और वायुयानों में बोर्डिंग की जाती है और इसके अंतर्गत आगमन भवन भी है;

(यग) "लावारिस सामान" से किसी विमान क्षेत्र पर सामान टैग लगा हुआ या उसके बिना सामान अभिप्रत है जिसे किसी यात्री या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उठाया या पहचाना नहीं गया है;

(श) "अत्यावश्यक संस्थापन" से विमान क्षेत्र पर या उससे जुड़ी हुई कोई सुविधा यदि क्षतिग्रस्त या नष्ट होने पर विमान क्षेत्र का कार्यकलाप गंभीर रूप से हासिल हो जाएंगे।

(2) उप शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. आयुक्त के कर्तव्य - (1) आयुक्त -

(क) उड़ानों की संरक्षा, नियमितता और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए विधिविरुद्ध कृत्यों तथा खतरे की संभावनाओं के विरुद्ध नागर विमानन प्रचालनों के रक्षोपाय से संबंधित अभिसमय के उपबंध-17 के

उपबंधों के संगत राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम को स्थापित, विकसित, क्रियान्वित, अनुरक्षित और पुनरीक्षित करना;

(ख) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करना;

(ग) किसी भी बढ़ते हुए सुरक्षा संबंधी खतरे का सामना करने के लिए त्वरित जवाबी कार्रवाई करना;

(घ) राज्य सरकार के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित या इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र तथा वायुयान प्रचालकों और अन्य अस्तित्वों के मध्य क्रियाकलापों को परिभाषित करना तथा इन्हें कार्य आबंटित करना और उनके मध्य समन्वय स्थापित करना;

(ङ) देश के विभागों, अभिकरणों और अन्य संगठनों, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन से संबंधित या इसके लिए उत्तरदायी विमान क्षेत्र और वायुयान प्रचालकों तथा अन्य अस्तित्वों के बीच सुरक्षा गतिविधियों का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समिति की स्थापना करना या ऐसे ही समान व्यवस्थाएं इंतजाम करना;

(च) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा के विभिन्न पहुओं के क्रियान्वयन में अंतर्वलित या इसके लिए उत्तरदायी सभी अस्तित्वों के कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थापित, विकसित या क्रियान्वित करना जिन्हें उक्त सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है;

(छ) नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर एक ऐसे प्राधिकारी को पदानित करना जो सुरक्षा नियंत्रणों के क्रियान्वयन का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ज) विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा नियंत्रणों और कार्यवाहियों के क्रियान्वयन के समन्वय के लिए नागर विमानन क्षेत्र में सेवारत प्रत्येक विमान क्षेत्र पर विमान क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करना;

(झ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की प्रभावी अनुपालन अवधारित करने और इसे विधिमान्यकरण करने के लिए एक राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम विकसित, क्रियान्वित तथा अनुरक्षित करना;

(ञ) राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुपालन सत्यापन करने और किसी भी कमी का तत्काल तथा प्रभावी रूप से सुधार करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा संपरीक्षा, जांच, सर्वेक्षणों तथा निरीक्षणों के लिए व्यवस्था करना;

(ट) संदर्भित राष्ट्रीय सुरक्षा अभिकरणों द्वारा किए गए किसी सुरक्षा जोखिम आकलन के आधार पर इसके राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के संदर्भित कारकों के सामजस्य की नीतियों और कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया की स्थापना;

4. **अपील** - इन नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा यदि व्यथित कोई व्यक्ति इस संबंध में केनद्रीय सरकार के पास अपील कर सकेगा।

भाग - 2 विमान क्षेत्र पर सुरक्षा उपाय

5. **विमान क्षेत्र सुरक्षा अपेक्षाओं का नियोजन, डिजाइन तथा ले-आउट -** (1) विमान क्षेत्र का नियोजन, डिजाइन और अभिविन्यास राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उपबंधित विनिर्देशों के अनुरूप होगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, -

(क) यात्रियों, यात्री सामान, स्थोरा, कुरियर तथा त्वरित पार्सल, डाक और खान-पान भंडार तथा प्रदाय के लिए अनुप्रयुक्त सुरक्षा नियंत्रण।

(ख) वायु पार्श्व पर पहुंच, सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्रों तथा अन्य संवेदनशील विमान क्षेत्रों और सुविधाओं का संरक्षण तथा नियंत्रण;

(ग) सुरक्षा उपस्करों का उपयोग; और

(घ) स्थापत्य तथा अवसंरचना संबंधी अपेक्षाएं।

(2) प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक आयुक्त द्वारा किए गए सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन के अनुसार नागर विमानन के सेवारत विमान क्षेत्र पर सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित करेगा।

(3) विमान क्षेत्र प्रचालक नई सुविधाओं के डिजाइन तथा निर्माण के एकीकरण द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम में उल्लिखित विमान क्षेत्र डिजाइन बनाएगा और आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् विमान क्षेत्र डिजाइन बनाएगा और आयुक्त से लिखित अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् विमान क्षेत्र के विद्यमान डिजाइन तथा सुविधाओं में परिवर्तन करेगा।

6. विमान क्षेत्र परिधि - प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, विमान क्षेत्र के आसपास के चारों ओर 0.457 मीटर (डेढ फुट) की ऊपर वाली कंटीली तार युक्त 2.438 मीटर (8 फुट) की ऊंचाई की परिधि का निर्माण करेगा:

परंतु आयुक्त किसी प्रकार के खतरे या किसी अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुए परिधि दीवार के विनिर्देशनों को वृद्धि कर सकेंगे।

7. गश्त पर परिवेक्षण चौकियों के लिए प्रकाश तथा सड़क का उपबंध - विमान क्षेत्र प्रचालक पर निम्नलिखित सुरक्षा व्यवस्थाएं करेगा, अर्थात्:-

(क) परिधि और किसी अन्य संवेदनशील क्षेत्र के लिए प्रकाश;

(ख) सुरक्षा कार्मिकों के गश्त के लिए सभी मौसमों के लिए सड़क; तथा

(ग) सुरक्षा कार्मिकों के संप्रेषण तथा कमांड चौकियों की व्यवस्था:

परंतु आयुक्त, सुरक्षा बोध को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जो उपयुक्त समझें, लिखित रूप में आदेश करेगा।

8. विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम - आयुक्त के अनुमोदन से प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की अपेक्षाओं के अनुरक्षण में विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा और उसको कार्यान्वित करेगा तथा ऐसे कार्यक्रम में कोई संशोधन आयुक्त से अनुमोदन के पश्चात् होगा।

9. विमान क्षेत्र पर प्रचालक क लिए सुरक्षा क्लियरेंस - (1) कोई भी विमान क्षेत्र प्रचालक, आयुक्त से सुरक्षा व्यवस्थाओं अनापत्ति और विमान क्षेत्र सुरक्षा कार्यक्रम के लिए अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी विमान क्षेत्र पर प्रचालन आरंभ नहीं करेगा।

(2) जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी विमान क्षेत्र के प्रचालक ने इस नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या वह इनका अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को अभिलिखित करके उसके द्वारा प्रदत्त या अनुमोदित सुरक्षा अनापत्ति तथा सुरक्षा कार्यक्रम को निलंबित या निरस्त कर सकेगा।

10. लावारिस व संदेहास्पद यात्री सामान की उठाई-धराई - यह विमान क्षेत्र प्रचालक -

(क) संदिग्ध या लावारिस यात्री सामान को रखने के लिए सुरक्षित या पार्थक्य क्षेत्र का संनिर्माण और अनुरक्षण करना, और

(ख) उसका अन्वेषण करना और इसका निपटान करना।

11. विमान क्षेत्र पर कारबार स्थापन - कोई विमान क्षेत्र प्रचालक, आयुक्त से इस संदर्भ में सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त किए बिना विमान क्षेत्र के सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में किसी कारबार स्थापन की स्थापना करने के लिए अनुमति नहीं देगा।

परंतु जहां कोई कारबार स्थापन, आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में स्थापित है, कारबार स्थापन का स्थायी राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में कारबार स्थापना सुरक्षा कार्यक्रम बनाएगा और अनुपालन करेगा।

12. विमान क्षेत्र प्रचालक के स्वामित्व की सुविधाओं का संरक्षण - प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक उसके स्वामित्व की अति आवश्यक संस्थापनाएं जिसके अंतर्गत तकनीकी और रख-रखाव, विद्युत आपूर्ति, विद्युत उप गृह, नियंत्रण टावर्स और दूसरे भवनों जो वायु यातायात सेवाओं और संचार सुविधाओं द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, को चिह्नित करना और उनकी रक्षा करना।

13. विमानन सुरक्षा समूह - (1) प्रत्येक विमान क्षेत्र प्रचालक, सरकारी सुरक्षा अभिकरण के कार्मिकों की ऐसी संख्या में नियोजित करेगा जो इन नियमों के अधीन समनुदेशित सुरक्षा कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए आयुक्त द्वारा अवधारित की जाए।

(2) उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त कार्मिक विमानन सुरक्षा समूह के रूप में अभिहित होंगे और ऐसे समूह के मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी के रूप में अभिहित होंगे।

(3) विमानन सुरक्षा समूह विमान क्षेत्र प्रभारी के साधारण पर्यवेक्षण और निर्देशन के अधीन कार्य करेगा।

(4) विमान क्षेत्र प्रचालन, विमानन सुरक्षा समूह को ऐसी सुविधाएं और सहायता उपलबध कराएगा जो आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जाए।

(5) आपात परिस्थितियों में, आयुक्त विमानन सुरक्षा समूह की तैनाती में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा।

14. मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी के कार्य - मुख्य विमान क्षेत्र, सुरक्षा अधिकारी को निम्नलिखित कर्त्तव्यों का अनुपालन करना होगा, अर्थात:-

48. उसे यात्रियों, कर्मीदल, भू-कार्मिकों और अन्य विमान क्षेत्र प्रयोक्ताओं, वायुयान, विमान क्षेत्र तथा अत्यावश्यक सुविधाओं जिसके अंतर्गत अत्यावश्यक संस्थापन भी हैं, की सुरक्षा करना;

(ii) विमान क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण उपायों को लागू करना;

(iii) परिधि की सुरक्षा;

(iv) यात्रियों तथा उनके हाथ के यात्री सामान की स्क्रीनिंग करना;

(v) विमान क्षेत्र के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र की निगरानी करना;

(vi) कार पार्क, दृश्य गैलरी, विमान क्षेत्र जलपान गृह आदि तथा संलचन क्षेत्र के समीप के क्षेत्रों सहित सुरक्षा उपायों को लागू करना;

(vii) सुरक्षा उपायों को लागू करना;

(viii) विमान क्षेत्र परिसरों में व्यवस्था और अनुशासन को बनाए रखना;

(ix) प्रतिबंधित क्षेत्रो में व्यक्तियों के आवागमन का पर्यवेक्षण करना;

(x) स्थानीय पुलिस तथा आसूचना एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखना; और

(xi) आयुक्त द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कर्त्तव्यों को करना।

15. **भूमि उठाई-धराई सेवा** - किसी विमान क्षेत्र मे भी भूमि उठाई-धराई सेवा प्रदाता को आयुक्त से सुरक्षा अनापत्ति प्राप्त किए बिना और अपने सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन के बिना भूमि उठाई-धराई सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं हो।

16. **आकस्मिक योजना** '-

(1) विमान क्षेत्र प्रचालक विधिविरुद्ध हस्तक्षेपों के कृत्यों से निपटने के लिए आयुक्त के अनुमोदन से आकस्मिक योजना बनाएगा।

(2) आकस्मिक योजना का परीक्षण आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार नियमित अवधियों पर किया जाएगा।

17. **उच्छृंखल यात्रियों को वायुयान से उतारना** - मुख्य विमान क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत विमानन सुरक्षा समूह का कोई अन्य अधिकारी समादेशक पायलेट के किसी लिखित अनुरोध पर यात्रियों तथा कर्मीदल की सुरक्षा तथा संरक्षा के जोखिम के आधार पर किसी व्यक्ति को वायुयान से नीचे उतार सकता है।

भाग 3 - विमान क्षेत्र पहुंच नियंत्रण

18. **विमान क्षेत्र में प्रवेश** - (1) विमान क्षेत्र में केवल प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट धारक व्यक्तियों को ही विमान क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी।

(2) विमान क्षेत्र में प्रवेश करने का टिकट विमान क्षेत्र प्रचालक द्वारा जारी होंगे।

(3) आयुक्त द्वारा विमान क्षेत्र परमिट संभव रूप से सत्यापन करने के पश्चात् जारी किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त या विमान क्षेत्र प्रचालक या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट जारी करने का निदेश दे सकेगी।

(5) किसी व्यक्ति को प्रवेश टिकट या विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट प्राप्त किए बिना विमान क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(6) धारक द्वारा विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट को ड्यूटी के दौरान प्रत्येक समय कमर से ऊपर के स्तर पर सहज दृश्य रूप से प्रदर्शित करेगा।

(7) कोई व्यक्ति -

(क) किसी पशु, पक्षी या वस्तु को न छोड़ेगा या न फेंकेगा और न ही किसी से फिकवाएगा,

(ख) न ही अपने कब्जे या नियंत्रण के अधीन किसी पशु को भ्रमरण कराएगा, और

(ग) संचलन क्षेत्र में आयुक्त से प्रवेश परमिट लिए बिना किसी वाहन को प्रचालन नहीं करेगा:

परंतु इसके अलावा वायुयान में सवार होने वाले, वायुयान से उतरने वाले या ट्रांजिट की प्रक्रिया के समय वायुयान टिकट धारकों या कोई व्यक्ति जो विमान क्षेत्र में नियमित ड्यूटी पर नियोजित है और आयुक्त द्वारा जारी विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट रखता है, को प्रवेश टिकट या प्रवेश परमिट प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी,

(8) आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को, विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट की समाप्ति या निरस्त होने या व्यक्ति को सेवा के पर्यवसान पर, जिसे यह जारी किया गया है विमान क्षेत्र प्रवेश परमिट वापस करना होगा।

(9) इस नियम में किसी भी बात के होते हुए भी विमान क्षेत्र प्रचालक या आयुक्त, को यदि यह समाधान हो जाता है कि उसे ऐसा करना सुरक्षा के हित में अपेक्षित या समीचीन है:

(i) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इंकार कर सकेगा;

(ii) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र से बाहर करना अपेक्षित है।

19. सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में प्रवेश - (1) विमान क्षेत्र प्रचालक, प्रत्येक विमान क्षेत्र पर सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में वायुयान से या तक व्यक्तियों तथा यानों के संचलन के लिए व्यवस्था करेगा।

(2) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्रों में पहुंच की अनुज्ञा देने से पूर्व, विमानन सुरक्षा समूह द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, यान, यात्री सामान, माल-असबाब या प्रदाय की स्क्रीनिंग की जाएगी।

(3) सुरक्षा प्रतिबंधित क्षेत्र में यानों के प्रवेश की अनुमति प्रवेश परमिट या आयुक्त से विशेष अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही होगी।

20. शस्त्र या विस्फोटकों को ले जाने पर प्रतिषेध - (1) किसी व्यक्ति को विमान क्षेत्र या वायुयान में आयुध, गोला-बारूद या विस्फोटकों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी:

परंतु इस उपनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगी, -

(i) विमानन सुरक्षा समूह, सशस्त्र बल और पुलिस कार्मिक को आयुध या गोला बारूप अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो; और

(ii) आयुक्त किसी व्यक्ति को नकली शस्त्र, विस्फोटक, या विस्फोटक युक्ति या कोई अन्य नकली प्रतिबंधित वस्तु को, विमानन सुरक्षा की कुशलता की जांच करने के उद्देश्य से, सम्यक रूप से प्राधिकृत कर सकेगा।

भाग - 4 - आरोहण पूर्व सुरक्षा जांचें

21. आरोहण से पूर्व सुरक्षा जांच - (1) आरोहण पूर्व, किसी वायुयान में यात्रा आरंभ करने वाले प्रत्येक यात्री और आंतरिक यात्री तथा हस्त यात्री सामान, यदि कोई हो, विमानन सुरक्षा समूह के किसी अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के उपबंध केवल पारगमन यात्रियों पर ही लागू होंगे यदि वे वायुयान से उतर रहे हैं:

परंतु उपनियम (1) और इस नियम के उपबंध ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें विशेष आदेश द्वारा आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(3) विमानन सुरक्षा समूह तथा विमान क्षेत्र प्रचालक यात्री और उनका कैबिन यात्री सामान की स्क्रीनिंग बिन्दु से उसके वायुयान में पहुंचाने तक किसी प्रकार अप्राधिकृत हस्तक्षेप से संरक्षित रखेंगे।

22. स्क्रीनरों का प्रमाणन - (1) आयुक्त, कतिपय माल के व्यक्ति पर या किसी यात्री या कर्मीदल सदस्य द्वारा केबिन यात्री सामान में ले जाने के लिए लिखित में प्रतिबंधित कर सकेगा, जो कि उसकी राय में जिसे नागर विमानन में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।

(2) जहां स्क्रीनिंग के दौरान किसी प्रतिबंधित माल के होने का पता चलता है तो ऐसे यात्री को वायुयान में प्रवेश की अनुज्ञात नहीं होगा और इन नियमों तथा तत्सयम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

भाग 5 - वायुयान प्रचालकों द्वारा सुरक्षा उपाय

24. **सुरक्षा कार्यक्रम** - प्रत्येक वायुयान प्रचालक, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में, आयुक्त के अनुमोदन से वायुयान प्रचालक सुरक्षा कार्यक्रम तैयार करेगा तथा उसका अनुपालन ऐसे करेगा और कार्यक्रम में कोई भी संशोधन आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् किया जाएगा।

25. **प्रचालक के लिए सुरक्षा निर्वाचन** - (1) कोई वायुयान प्रचालक किसी विमान क्षेत्र पर सुरक्षा इंतजामों के निर्वाधन और आयुक्त से नियम 24 के अधीन विमान प्रचालन सुरक्षा कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रचालन नहीं करेगा।

26. **स्टाफ की तैनाती** - कोई वायुयान प्रचालक उन्हीं कार्मिकों को सुरक्षा कर्तव्यों के लिए नियुक्त करेगा जो पूर्णकालिक कर्मचारी हो, जिसके चरित्र और पूर्वत्त को सत्यापन किया जा चुका है और जिन्हें, राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुवरण में उचित प्रशिक्ष्ण, चयन प्रक्रिया और प्रमाणन के पश्चात् नियुक्त किया गया हो।

27. **वायुयान की सुरक्षा तलाशी** - कोई वायुयान प्रचालक निम्नलिखित में अपने वायुयान की सुरक्षा तलाशी करेगा -

(क) सुरक्षा निर्बंधित क्षेत्र में ले जाने से पहले, और

(ख) अवरोहरण के बाद यात्रियों के प्रवेश कराने से पहले तथा अवरोहण के पश्चात्।

28. **चालक के दरवाजे को बंद करना** - प्रत्येक वायुयान प्रचालक :

(क) उड़ान की सभी दशाओं में वायुयन के चालक स्थल के दरवाजे बंद रखेगा, जब तक कि इसे प्रचालन के कारणों के लिए खोला जाना अपेक्षित न हो,

(ख) केबिन कर्मीदल और उड़ान के दौरान उड़ान कर्मीदल के बीच संचार प्रणाली की स्थापना तथा अनुरक्षण, और

(ग) चालक स्थान की पहुंच नियंत्रण का उत्तरदायित्व समादेशक पाइलेट को समनुदेशित करना।

30. **उड़ान में सुरक्षा अधिकारी की तैनाती** - (1) वायुयान प्रचालक, किसी यात्री वायुयान में इतनी संख्या में उड़ान सुरक्षा अधिकारी को ले जा सकेंगे जितने आयुक्त द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किए जाए।

(2) वायुयान प्रचालक समादेशक पायलेट को सशस्त्र कार्मिकों की संख्या तथा उनकी सीट स्थिति के बारे में घोषणा करेंगे।

31. **धारित यात्री सामान के सुरक्षा नियंत्रण** - वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक, धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग और सुरक्षा इस प्रकार करेंगे जो समय-समय पर आयुक्त द्वारा लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

32. **धारित यात्री सामान की पहचान तथा पुनर्मिलाप** - धारित यात्री सामान की पहचान और पुनर्मिलाप ऐसी रीति में करेगा जो कि समय-समय पर आयुक्त द्वारा लिखित रूप में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

33. **अंतरित यात्री सामान -** वायुयान प्रचालक अंतरित धारित यात्री सामान को वायुयान में ले जाए जाने से पहले स्क्रीनिंग करेगा:

परन्तु उद्भव के बिंदु पर धारित यात्री सामान की स्क्रीनिंग की जाएगी और तत्पश्चात उसे उद्भव वायुयान क्षेत्र से प्रस्थानकर्ता वायुयान में विधिविरुद्ध हस्तक्षेप से सुरक्षित करके स्क्रीनिंग के अध्यधीन न रहते हुए अंतरित वायुयान क्षेत्र को ले जाया जाएगा।

34. **वायुयान में कैदियों का वहन** - वायुयान प्रचालक किसी कैदी को ऐसी रीति से वहन करेगा जो कि आयुक्त द्वारा लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

35. **स्थोरा, डाक, खान-पान के मद और अन्य भंडार** - वायुयान प्रचालक उड़ान में स्थोरा, डाक, खान-पान मदों और अन्य भंडार तथा प्रदाय ऐसी नीति से स्वीकृत करेगा जो आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

36. **वायुयान का निरोध** - आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत को कोई अन्य व्यक्ति, कारणों को लेखबद्ध करके, किसी वायुयान का निरोध कर सकेगा यदि उसकी राय में,-

(क) वायुयान पर उड़ान में अनाधिकृत शस्त्र, विस्फोटक या अन्य विध्वंसक युक्तियां हो जिनसे उस वायुयान की सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो; या

(ख) वायुयान पर उड़ान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अनाधिकृत रीति से वायुयान में प्रवेश प्राप्त किया है या जिससे नागर विमानन प्रचालनों के साथ विधिविरुद्ध हस्तक्षेप होने की संभावना है; या

(ग) इन नियमों में किसी भी उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरोध आवश्यक है।

भाग 6 - स्थोरा, कूरियर थैले, डाक और विनियमित अभिकर्ता

37. **स्थोरा और कूरियर थैलों के लिए सुरक्षा नियंत्रण** - (1) किसी वायुयान पर वहन करने के आशय से कोई स्थोरा पर यात्रियों के किसी भी त्वरित स्थोरा या कूरियर थैलों को उन नियमित कर्मचारियों द्वारा प्राप्त, प्रसंस्कृत और उठाई-धराई की जाएगी, जिन्हें वायुयान प्रचालक के या आयुक्त द्वारा लिखित रूप से आदेश द्वारा किसी अन्य एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसरण में प्रशिक्षित किया गया है।

(2) सुरक्षा-नियंत्रण किए बिना, जिसके अंतर्गत एक्स रे स्क्रीनिंग या भौतिक तलाश जांच भी है, किसी स्थोरा को वायुयान में लादा नहीं जाएगा:

परंतु आयुक्त लिखित आदेश द्वारा किसी भी स्थोरा, त्वरित स्थोरा या कूरियर थैलों को उस नियम के उपबंध से छूट दे सकेगा।

38. **कूरियर अभिकरण की रजिस्ट्री** - कोई वायुयान प्रचालक किसी भी अधिकरण से परिवहन के लिए कोई भी कूरियर थैले स्वीकार नहीं करेगा जब तक ऐसा अभिकरण -

(क) अपने वायुयान प्रचालक के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो; और

(ख) आयुक्त द्वारा कोई सुरक्षा कार्यक्रम न बना सके और इसको अनुमोदित करवाकर अनुपालन न कर ले।

39. **साथ ले जाए जा रहे थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप** - साथ ले जाए जा रहे कूरियर थैलों की पहचान या पुनर्मिलाप का कार्य किसी वायुयान प्रचालक द्वारा इस रीति से किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट आयुक्त द्वारा समय-समय पर किया जाए।

40. **कतिपय मालों के वहन का प्रतिबंध** - (1) आयुक्त, लिखित आदेश, द्वारा कतिपय मालो को स्थोरा, या कूरियर थैलों या डाक माध्यम से वहन को प्रतिबंध कर सकेगा।

(2) प्रतिबंधित वस्तुओं वाले परेषणों को वायुयान में लादा नहीं जाएगा।

41. **सुरक्षा से निर्वाधन स्थोरा या डाक या कूरियर थैलों आदि का संरक्षण -**

वायुयान प्रचालक या वायुयान क्षेत्र प्रचालक या कोई अन्य अभिकरण जो इसमें से किसी के लिए कार्य कर रहा हो, स्थोरा या कूरियर थैलों की स्क्रीनिंग और संरक्षण इस रीति से करेगा जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

42. **विनियमित अभिकर्ता** - वायुयान प्रचालक वायु द्वारा वहन को स्थोरा, कूरियर या डाक के लिए विनियमित अभिकर्ता नियुक्त कर सकेंगे, जो समय-समय पर आयुक्त द्वारा अधिक्रमित प्रक्रिया के अनुसार कृत्य करेगा।

भाग 7 - खान-पान, प्रदाय और भंडारण

43. **खान-पान, प्रदाय** - (1) कोई व्यक्ति, आयुक्त से सुरक्षा कार्यक्रम के अनुमोदन प्राप्त किए बिना, वायुयान में लादने के लिए कोई भी खान-पान मदों का प्रदाय नहीं करेगा।

(2) जहां आयुक्त द्वारा यह समाधान हो जाता है कि खान-पान संस्थापनों के स्वामी या प्रचालक, उपनियम (1) का उनके सुरक्षा कार्यक्रम को, उल्लंघन करता हो, उनके अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा।

44. **अन्य भंडारणों का प्रदाय** - कोई वायुयान प्रचालक, सुरक्षा स्क्रीनिंग किए बिना वायुयान में उपयोग के लिए किसी मद को वायुयान में नहीं लादेगा।

भाग 8 - सुरक्षा दुर्घटनाएं/घटनाएं

45. **सुरक्षा दुर्घटना या घटनाओं की रिपोर्टिंग** - प्रत्येक वायुयान प्रचालक, विमानन सुरक्षा समूह, वायुयान क्षेत्र प्रचालक, विनियमित अभिकर्ता, खान-पान संस्थापनों के स्वामी या प्रचालक को, सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटनाओं के घटने पर, तत्काल आयुक्त को सुरक्षा घटना की रिपोर्ट करनी होगी।

46. **सुरक्षा दुर्घटना या घटना की जांच** - (1) आयुक्त किसी सुरक्षा दुर्घटना या सुरक्षा घटना की जांच का आदेश दे सकेगा और सुरक्षा जांच अधिकारी नियुक्त करेगा जो सहायक सुरक्षा आयुक्त की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) जांच अधिकारी, चूककर्ता व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और इसकी रिपोर्ट आयुक्त को देगा, जो उसे केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

47. **जांच अधिकारी की शक्तियां** - जांच के प्रयोजन के लिए, किसी जांच अधिकारी को निम्न शक्तियां प्राप्त होगी -

(क) सूचना द्वारा, किसी व्यक्ति की अपेक्षित उपस्थिति,

(ख) किसी भी ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा, जो उसके द्वारा दिए गए कथन की सही प्रकृति की बावत घोषणा कर सके तथा उस पर हस्ताक्षर करे,

(ग) बहियां, कागजाती, दस्तावेजों तथा वस्तुओं को तैयार करने की अपेक्षा करना,

(घ) किसी वायुयान या स्थान की जांच तथा पहुंच रखना।

भाग 9 - साधारण

48. **निरीक्षण -** आयुक्त द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सभी उपयुक्त समय पर किसी भी स्थान या वायुयान में जहां पहुंच आवश्यक है, प्रवेश कर सकेगा, तथा वह इन नियमों के उपबंधों के सुरक्षा अनुपालन के प्रयोजन के लिए, सुविधाओं, सेवाओं, उपस्करों दस्तावेजों और रिकार्डों का निरीक्षण करेगा।

[फा. सं. एबी - 11012/001/2009-एएस]

शुभा ठाकुर, निदेशक